<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>09/10/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने 07.10.2024 को मेसर्स हैम्पटन स्काई रियलिटी पहले रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) और इसके निदेशकों/साझेदारों संजीव अरोड़ा, हेमंत सूद और चंद्र शेखर अग्रवाल; और मेसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), इसके निदेशकों गुरमीत सिंह और प्रदीप कुमार अग्रवाल से संबंधित 17 विभिन्न व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जो पंजाब राज्य के लुधियाना और जालंधर और चंडीगढ़, दिल्ली और गुड़गांव जिलों में फैले हैं। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

ईडी ने लुधियाना की एक अदालत में मेसर्स रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक आपराधिक शिकायत और लुधियाना पुलिस द्वारा मेसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच के दौरान पाया गया कि पंजाब राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, दोनों संस्थाओं मेसर्स हैम्पटन स्काई रियलिटी पहले रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) और मेसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) को पंजाब सरकार द्वारा कुछ शर्तों के साथ औद्योगिक भूमि आवंटित की गई थी। ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स आरआईएल ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करके आवंटित औद्योगिक भूमि को गलत तरीके से बेच दिया था।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि मेसर्स हैम्पटन स्काई रियलिटी (पहले रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल)) ने पंजाब सरकार की अनुमति के बिना भूमि उपयोग को अलग कर दिया और बाद में परियोजना के लिए पंजाब सरकार की अनुमति मांगते समय महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर उक्त भूमि पर आवासीय परियोजना और व्यावसायिक पार्क विकसित किया। इन सभी गलत गतिविधियों से मेसर्स आरपीआईएल और मेसर्स आरआईएल ने पंजाब सरकार को नुकसान पहुंचाया और भारी मात्रा में अपराध से आय (पीओसी) अर्जित की।

आगे की जांच जारी है।